Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

प्रकीर्ण परिवाद सं0 15/2023

श्रीमती विशाला देवी जोशी,
नि0 भगवानपुर, भाववाला,
देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (मोहनपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 14.05.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत प्रकीण परिवाद परिवादी द्वारा परिवाद संख्या 66/2023 श्रीमती विशाला देवी जोशी, निवासी– भगवानपुर, भाववाला, देहरादून बनाम अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (मोहनपुर)उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 देहरादून के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांकित 2012.2023 का विपक्षी द्वारा अनुपालन न किये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

मंच द्वारा वाद संख्या 66/2023 में पारित निम्न आदेशानुसार *"मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि* ***RDSS*** *योजना का कार्य प्रारंभ होते ही परिवादी के उपरोक्त संयोजन हेतहु विद्युत लाईन निर्माण कर परिवादी की शिकायत का समाधान करें।"* का विद्युत विभाग द्वारा आज दिनांक 22/02/2024 तक भी अनुपालन नहीं किया गया है। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को आदेशित कर पूर्व पारित आदेश दिनांकित 20.12.2023 का अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के सन्दर्भ में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि 04.04.2024 को मंच के पूर्व पारित आदेश दिनांकित 20.12.2023 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आख्या प्रस्तुत की गई, जिसके अनुसार विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त के आलोक में वाद संख्या 66/2023 में दिये गये निर्णय के अनुपालन में उपभोक्ता के लाईन निर्माण का कार्य हेतु प्रस्ताव केंन्द्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित है तथा वर्तमान में मुख्यालय स्तर पर प्राक्रियाधीन है जो कि आगामी 06 माह के भीतर होने की सम्भावना है, इस संबंध में इस कार्यालय के पत्रांक संख्या 3864/वि0वि0उ0ख0/उपाकालि/एच–7 दिनांक 29/02/2024 के द्वारा अवगत कराया गया था अतः योजना के अन्तर्गत शिकायकर्ता की समस्या का निस्तारण कर दिया जायेगा।

पत्रावली का अवलोकन करने के उपरान्त मंच इस मत का है कि विपक्षी केन्द्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के आरंभ होते ही अविलंब उपरोक्त विद्युत लाईन का निर्माण करने हेतु सहमत है, एवं विपक्षी द्वारा उक्त कार्य 06 माह के भीतर होने की सम्भावना व्यक्त की गई है। अतः इस परिस्थित में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के तहत् 6 माह के अंर्तगत उपरोक्त विद्युत लाईन का निर्माण करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे।पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/05/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

14/05/24
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

14/05/2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 15/2024

Shri. Raghubir Singh Bartwal **V/s** **Executive Engineer, EDD, Mohanpur, D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 20.05.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 20.05.2024 को पेश हुई। उभय पंक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई के दौरान आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके द्वारा जनवरी 2024 में रूफटॉप प्लांट स्थापित कराया गया था, परन्तु उन्हें बिलों में उक्त रूफटॉप प्लांट का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। परिवादी द्वारा उपरोक्त के संबंध में विपक्षी के कार्यालय में कई बार शिकायत भी की गई प्ररन्तु कोई समाधान प्राप्त नहीं हुआ। अतः मंच से निवेदन है कि विपक्षी को उपरोक्त शिकायत का समाधान करने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संदर्भ में विपक्षी द्वारा आख्या पत्रांक संख्या 427 दिनांकित 18.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि परिवादी के संयोजन संख्या MP1/2113/094264 के संयोजन को दिनांक 13.05.2024 Non Solar से Solar में परिवर्तित कर समस्या का समाधान कर दिया गया है।

परिवादी द्वारा सुनवाई से पूर्व ई–मेल के माध्यम से विपक्षी की उपरोक्त आख्या पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त कर दी गई है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि ई–मेल के माध्यम से व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे

पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

20/05/2024	20/05/24	20.05.20
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCE REDRESSAL FORUM
V.C.V GABBAR SINGH, URJA BHAWAN, KANWALI ROAD
DEHRADUN

Case No. 17/2024

Smt. Renu Bahuguna V/s **Executive Engineer, EDD, Raipur D.Dun**

ORDER SHEET

Date- 27.05.2024

निर्णय

पत्रावली आज दिनांक 27.05.2024 को पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित है। विपक्षी द्वारा वाद निस्तारण के संबंध में सुनवाई से पूर्व आख्या प्रस्तुत की गई।

परिवादी की मूल शिकायत है कि उनके विद्युत बिल अक्टूबर 2022 से आर0डी0एफ0 के आधार पर आ रहे है, जबकि वर्तमान मे उनकी खपत सामान्य है एवं माह अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 तक मकान 6 माह बन्द रहा कारण परिवादी का विदेश रहा है। अतः मंच से निवेदन है कि उनके विद्युत बिलों को वास्तविक खपत के आधार पर संशोधित कराने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

विपक्षी द्वारा उपरोक्त के क्रम में आख्या पत्रांक संख्या 423 दिनांक 25.05.2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 12 03.2024 को उपभोक्ता के खराब विद्युत मापक को सहायक अभियन्ता (मीटर) विद्युत परीक्षणशाला, आराघर, देहरादून द्वारा बदला गया एवं उक्त मीटर का RDF Bill प्रेषित करने के आधार पर बदला गया। वर्तमान में उपभोक्ता के विद्युत बिल संलग्न गणनाशीट के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

परिवादी द्वारा सुनवाई के दौरान विपक्षी की उपरोक्त आख्या पर अपनी लिखित संतुष्टी व्यक्त कर दी गई है।

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नहीं करेंगे पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/05/2024 | 27/05/24 | 27.05.24

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.V Gabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण
(गढ़वाल
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 134/2023

श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 बलबहादुर शाही परिवादी
ग्राम– कालूवाला, पो0ओ0 बोवाला
ब्लाक–डोईवाला, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (डोईवाला)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

दिनांक: 30 .05.2024

कोरम
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत पोलों को स्थापित न किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी ने दिनांक 28.06.2022 को नये विद्युत पोल लगाये जाने हेतु आवेदन किया गया था तथा दिनांक 02.07.2022 को विद्युत पोल की रसीद प्राप्त हुई, लेकिन उपरोक्त विद्युत पोल 16 माह बाद भी विद्युत पोल स्थापित नहीं हुए हैं।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथियां 23/01/2024 , 01/02/2024, 08/02/2024, 18/03/2024 एवं

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

09/05/2024 नियत की गयी थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों में परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि मे मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभिरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज होने के योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30/05/2024	30/05/24	30/05/
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 2480
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 143/2023

ईवनीश जुनेजा — **परिवादी**
ईमिनेट हॉईटस,11 बलबीर रोड,
डालनवाला ,देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांकः 21.05.2024**
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध वाद योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि मेरा रजिस्ट्रेशन संख्या 486061223005 जो कि ईवनीश जुनेजा से है। परिवादी का कथन है कि आर0डब्लू0ए0 के माध्यम से भी व्यक्तिगत विद्युत संयोजन उपलब्ध न होने के कारण मंच से विद्युत संयोजन निर्गत कराये जाने हेतु आग्रह किया गया है।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी ने आख्या पत्रांक 1253, दिनांकित 27/12/2023 से मंच को अवगत कराया है परिवाद कि श्री ईवनीश जुनेजा, ईमिनेट हाईटस,11 बलबीर रोड पर आवासीय फ्लैट है एवं इनका अपना

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

व्यक्तिगत परिवर्तक लगा हुआ है जिस कारण उपभोक्ता श्री ईवनीश जुनेजा को अन्य परिर्वतक से विद्युत संयोजन दिया जाना सम्भव नही है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध विपक्षी की आख्या से से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा आवासीय फ्लैट पर 05 किलोवाट का 3 फेज संयोजन हेतु पंजीकरण संख्या 486061223005 के द्वारा आवेदन किया गया था, जिसके सापेक्ष में विपक्षी द्वारा मंच को अवगत कराया गया कि परिवादी के परिसर पर स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत पाया गया कि ईमिनेट हाईटस परिसर में पहले से ही एच0टी0 कनेक्शन है, एल0टी0 पैनल भी जनरेटर स्पलाई के साथ कॉमन है, जिस कारण परिवादी को अन्य परिवर्तक से विद्युत संयोजन दिया जाना संभव नही है।

परिवादी की मूल शिकायत भी विद्युत संयोजन न दिये जाने के संबंध में है। अतः उपरोक्त चर्चा इस मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection** के प्रावधान 3.6 (6) के अनुसार संयोजन निर्गत किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि०क्रॉ०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 3 Release of New Connection** के प्रावधान 3.6 (6) के अनुसार संयोजन निर्गत करना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

21/05/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

21/05/24
(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

21.05
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun –248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रो
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 151/2023

श्रीमती अंजली रानी,
निवासी– पथरी बाग 10 डी
सिंगल मंडी,देहरादून।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

विपक्षी

कोरम | **दिनांक: 24.05.2024**
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि विद्युत मीटर नं0 U386574 व अकांउट नं0 41900373749 जो कि अंजली रानी के नाम से पथरी बाग, देहरदून में है। मेरा परिसर पिछले आठ व नौ महीने से बंद पडा था, बंद परिसर पर बिना विद्युत खपत के अनुसार हमें अत्यधिक बिल प्रेषित हो रहें थे, जिसके क्रम में मैने मीटर

बदलने हेतु बिजली घर आई0एस0बी0टी0 में प्रार्थना पत्र दिया गया था परन्तु चैक मीटर लगने से पूर्व ही मेरा संयोजन विच्छेदित कर दिया गया है। अतः मेरा संयोजन पुनः स्थापित कर विद्युत बिलों को संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक सं0 1171 दिनांकित 27.01.2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवाद सं0 151/2023 श्रीमती अंजली रानी, निवासी– पथरी बाग 10डी, सिंगल मंडी देहराखास देहरादून, संयोजन संख्या SD25734135412 पर चैक मीटर लगाने हेतु आदेशित किया गया है। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 06.04.2023 से बिल जमा नहीं कराया गया इसलिए 11/2023 को उक्त संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था, वर्तमान में उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर संशेधित कर दिया गया है, जिसमें बिल की धनराशि 19635/– उपभोक्ता के द्वारा जमा कराई जाना शेष है, जिसके बाद चैक मीटर लगना भी सम्भव हो पाएगा।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में उक्त वाद पंजीकृत कराया गया है। परिवादी के शिकायत के क्रम में विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता द्वारा अपने विद्युत संयोजन के सापेक्ष दिनांक 10.12.2023 को चैक मीटर हेतु आवेदन किया था , जिसके क्रम में

दिनांक 07.02.2024 को उपभोक्ता के परिसर पर चैक मीटर स्थापित किया गया एवं दिनांक 25.02.2024 को उपभोक्ता के मेन मीटर एवं चैक मीटर की रीडिंग में कोई अंतर न पाये जाने पर चैक मीटर उतार लिया गया। विपक्षी द्वारा यह भी अवगत कराया है कि उपभोक्ता द्वारा दिनांक 06.04.2023 से विद्युत बिल जमा नहीं कराया गया इसलिए 11/2024 को उक्त संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था, वर्तमान में उपभोक्ता का विद्युत बिल रीडिंग के आधार पर संशोधित कर दिया गया है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा उक्त प्रकरण में मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** एव **5.2.1 (7)** के उक्त विनियमों का उल्लंघन किया गया है। UERC के उक्त विनियम में स्पष्ट उल्लेख है कि विपक्षी का मीटर defective/stuck/stopped/burunt (NA/NR/IDF/ADP/RDF) की स्थिति में तीन बिलिंग साईकिल के आधार पर केवल 2 विद्युत बिल चक्रों की बिलिंग किये जाने का अधिकार विपक्षी को प्राप्त है। अतः उक्त विनियम का उल्लंघन कर विपक्षी द्वारा परिवादी को 15 बिल चक्रों में NA/IDF के आधार पर विद्युत बिल

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

प्रेषित किये गये है, जो कि मंच के मत में न्यायोचित नहीं है, ऐसी स्थिति में परिवादी को बिल चक्र 11/2021 से 01/2024, 15 बिल चक्रों में प्रेषित बिल निरस्त कर उक्त बिलों को मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** के विनियमों के तहत संशोधित किया जाना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के बिल चक्र 11/2021 से 01/2024 तक NA/IDF के आधार पर प्रेषित बिलों को निरस्त कर उक्त बिलों के स्थान पर मान्नीय **Uttarakhand Electricity Regulatory Commission Notification October 29,2020 UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 Chapter 5 Metering & Billing 5.1.7 (1)** के विनियम के तहत् संशोधित कर मात्र 02 विद्युत बिल चक्रों का विद्युत बिल परिवादी को प्रेषित करें। इस प्रकार संशोधित बीजक पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। विपक्षी इस संबंध में हुए राजस्व हानि के दोषी कार्मिकों पर

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

24/05/2024	24/05/24	24.05.2
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 157/2023

श्रीमती लीली शर्मा, — परिवादी
निवासी– फ्लैट सं0–सी 506,
आंसल आंनद धाम, हरिपुर कलां
ऋषिकेश।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — **विपक्षी**
विद्युत वितरण खण्ड (ऋषिकेश)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — **दिनांक: 22.05.2024**
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद श्रीमती लीली शर्मा जिनका विद्युत संयोजन संख्या RK22123148793 है। परिवादी द्वारा बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में वाद योजित किया गया है। परिवादी का कथन है कि मेरे परिसर पर नया विद्युत संयोजन दिनांक 31.03.2023 को लगाया गया था। विद्युत संयोजन लगाने के बाद से ही मैं दिल्ली में निवास कर रही हूँ, जिस कारण मेरा परिसर बंद रहता है। दिनांक 11.05.2023 को रू0 283.00 एवं दिनांक 20.06.2023 को रू0 433.00 का विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, जो कि मेरे द्वारा दिनांक 06.07.2023 को ऑनलाइन के माध्यम से

जमा कराया गया, परन्तु दिनांक 20.06.2023 के बाद के विद्युत बिल जो कि दिनांक 17.08.2023 को रू0 13675.00 प्रेषित किया गया, जो कि बंद परिसर पर बिना विद्युत खपत के अनुसार अत्यधिक बिल प्रेषित हो रहें है, जिसके क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 18.08.2023 को ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई गयी, जिसका शिकायत संख्या 118082230011 था, जिसके पश्चात् विद्युत कार्यालय द्वारा दिनांक 02.09.2023 को दूरभाष के माध्यम से मुझे चैक मीटर फीस रू0 60.00 जमा कराने हेतु कहा गया, जिसके बाद ही मीटर चैक किया जायेगा। मेरे द्वार उन्हें अवगत कराया गया कि मैं दिल्ली में रहती हुँ और आने में असमर्थता व्यक्त की तो मेरी शिकायत को Invalid मार्क कर दिया गया। दिनांक 17.08.2023 के बाद के बिल जो कि दिनांक 12.09.2023 को रू0 23307.00 को प्रेषित हुआ। मेरे द्वारा दिनांक 29.09.2023 को लिखित शिकायत के माध्यम से विद्युत विभाग को अवगत कराया गया, जिसके बाद से विद्युत बिल सही आ रहे है, परन्तु पूर्व में प्रेषित विद्युत बिल जो अभी तक संशोधित नहीं हुए है, उन पर अब विलम्ब शुल्क लगकर आ रहा है, जिसके क्रम में मेरे द्वारा दिनांक 26.12.2023 को लिखित शिकायती पत्र विद्युत कार्यालय ऋषिकेश में दी गयी, जिस समय मैं विद्युत कार्यालय में मौजूद थी उसी दिन मेरे परिसर पर विद्युत विभाग के कर्मचारी बिजली काटने के लिए आये थे। मैने दिनांक 23.09.2023 से अपने फ्लैट में एक व्यक्ति को रखा हुआ है, जिससे बिजली ऑफिस से आने वाले किसी भी व्यक्ति को असुविधा न हो। अतः आपसे अनुरोध है कि दिनांक 20.06.2023 से दिनांक 23.09.2023 के बिलों का पुनः आंकलन कर ठीक किया जाये।

उपरोक्त के संदर्भ में उपखण्ड अधिकारी ने अपनी आख्या पत्रांक सं0 76 दिनांकित 23.01.2024 अवगत कराया गया है कि माह 08/2023 में उपभोक्ता का विद्युत बिल कुल billed unit 2002 Kwh कुल धनराशि 13675.00 का तथा 09/2023 विद्युत बिल कुल billed unit 1213 Kwh कुल धनराशि 9632.00 का टी0डी0एस0

Management Consultant Pvt. Ltd. के द्वारा निर्गत किया गया है। अवर अभियन्ता द्वारा उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मीटर संख्या 10345364 की वर्तमान रीडिंग 3627 Kwh का फोटो मंगवाया गया जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि विद्युत मीटर की रीडिंग के अनुसार ही विद्युत बिल निर्गत किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा चैक मीटर लगाने हेतु आवेदन करने के उपरांत उपभोक्ता के विद्युत मीटर को चैक करने हेतु अग्रिम कार्यवाही कर दी जायेगी।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपने विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में परिवाद पंजीकृत कराया गया है। परिवादी के शिकायती के क्रम मे विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि परिवादी के विद्युत बिल माह 08/2023 में उपभोक्ता का विद्युत बिल कुल billed unit 1213 Kwh कुल धनराशि 13675.00 का तथा 09/2023 विद्युत बिल कुल billed unit 2002 Kwh कुल धनराशि 9632.00 का टी0डी0एस0 Management Consultant Pvt. Ltd. के द्वारा निर्गत हुये है। विपक्षी द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित विद्युत मीटर संख्या 10345364 की वर्तमान रीडिंग 3627 Kwh विद्युत रीडिंग के अनुसार विद्युत बिल प्रेषित किये गये है, उस पर परिवादी को आपत्ति है। मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि 27/01/2024 को विपक्षी की उपस्थिति में निर्देशित किया गया था, परिवादी के परिसर पर चैक मीटर स्थापित कर चैक मीटर शुल्क परिवादी के विद्युत बिल में जोड दिया जाये, परन्तु खेद का विषय है कि विपक्षी द्वारा न तो चैक मीटर स्थापित किया गया और न ही इस संबंध में मंच में कोई आख्या प्रस्तुत की गई।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–276739
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा परिवादी की कंज्यूमर हिस्ट्री का अवलोकन किया गया एवं पाया कि पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में मीटर रीडिंग के आधार पर बिल दिये जाते रहे है, परन्तु एकाएक विवादित बिल चक्र 08/2023 के बिल चक्र में विपक्षी द्वारा परिवादी को 2002 यूनिट का बिल भेजा गया, जिस पर परिवादी को आपत्ति है क्योंकि इतनी अधिक खपत न तो पूर्व में रही है ना ही उपरोक्त विवादित बिल चक्र के बाद।

पत्रावली पर उपलब्ध कंज्यूमर हिस्ट्री के अनुसार विपक्षी द्वारा परिवादी को प्रेषित विवादित बिल अवधि दिनांक 20/06/2023 से दिनांक 17/08/2023 अर्थात् 58 दिनों में 02 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 2004 यूनिट की खपत दर्शायी गयी है, जो कि 34.55 यूनिट प्रतिदिन की खपत होती है, उक्त अवधि की एल.डी.एच.एफ सूत्र के तकनीकी अनुसार भी परिवादी की खपत 192 यूनिट प्रतिमाह होती है। अतः 02 किलोवाट के स्वीकृत भार पर 34.55 यूनिट प्रतिदिन की खपत को मंच स्वीकार नहीं कर सकता है। विपक्षी परिवादी की विवादित खपत को तकनीकी रूप से साबित करने में नाकाम रहा है, ऐसी दशा में परिवादी का दिनांक 17/08/2013 का बीजक पूर्व की तीन बिल चक्रों की उपलब्धता न होने के कारण एल.डी.एच.एफ सूत्र के अनुसार 192 X 2 = 384 यूनिट के आधार पर संशोधित होने योग्य है।

आदेश

मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को प्रेषित बिल दिनांकित 17/08/2023 को निरस्त कर उक्त बिल को एल.डी.एच.एफ सूत्र के अनुसार 192 X 2 = 384 यूनिट प्रति बिल चक्र के आधार पर संशोधित करें, इस प्रकार संशोधित बिल पर किसी भी प्रकार का सरचार्ज देय नहीं होगा। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित

किया जाता है कि परिवादी के परिसर पर स्थापित विद्युत मापक को अविलंब परिवर्तित करना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में पुनः मीटर की तकनीकी खराबी के कारण इस प्रकार की शिकायत उत्पन्न न हो सकें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

22/05/2024

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

22/05/24

(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

22.05.24

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.con

परिवाद सं0 162 / 2023

श्री आलोक डोभाल,
निवासी– प्लाट नं0 316, लेन नं0 4,
डी भागीरथीपुरम्, बंजारावाला,
जिला–देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 14.05.2024
श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या SD65716179678 के विद्युत भार को निर्धारित शुल्क जमा कराये जाने के उपरान्त भी न बढ़ाये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका विद्युत संयोजन खाता संख्या 41800429488, 4 किलोवाट का है। उनके द्वारा उक्त संयोज के लोड बढाये जाने हेतु टर्नर रोड़ सब स्टेशन कार्यालय में आवेदन किया गया था, जिसकी पंजीकरण संख्या 477031123018 दिनांक 03.11.2023 है। उक्त पंजीकरण संख्या के क्रम में उनके द्वारा दिनांक 08.12.2023 को रू0 5500.00 जमा कराये गये, जिसके पश्चात् उनके द्वारा आई0एस0बी0टी0में जे0ई एवं अन्य कर्मचारियों से उपरोक्त के संदर्भ में जानकारी चाही परन्तु किसी के द्वारा कोई उचित जानकारी नहीं दी गई। अतः मंच से निवेदन है कि विद्युत विभाग को आदेशित करने की कृपा करें की अतिशीघ्र मेरे उपरोक्त संयोजन संख्या का लोड़ बढाया जाये।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1204 दिनांकित 06/02/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या SD65716179678 का विद्युत भार बढाने हेतु आवेदन दिनांक 03.11.2023 को किया गया था। संयोजन स्थल के निरीक्षण/परीक्षण का प्राकलन गठित किया गया, जिसके उपरान्त उपभोक्ता द्वारा दिनांक 08.12.2023 को निर्धारित शुल्क जमा कराया गया जिसके उपरान्त परिसर की सिंगल फेज विद्युत लाईन को 3 फेज लाईन में बदलकर नियामानुसार विद्युत संयोजन पर विद्युत भार दिनांक 07.02.2024 को बढा दिया गया है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान सिंगल फेज विद्युत लाईन को 3 फेज लाईन में बदलकर कर दिया गया है, जिसपर परिवादी द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त की जा चुकी है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान सिंगल फेज विद्युत लाईन को 3 फेज लाईन में बदलकर कर दिया गया है, जिसपर परिवादी द्वारा ई–मेल के माध्यम से अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/05/2024	14/05/24	14/05/2024
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकि सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun -248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

परिवाद सं0 163/2023

श्रीमती लता गुरुंग,
निवासी– कैनाल रोड़, गंगा विहार,
कोलागढ़, जिला–देहरादून। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (दक्षिण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। — विपक्षी

कोरम — दिनांक : 14.05.2024

श्री त्रिभुवन सिंह — न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद — तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण — उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या SD16173178143 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा विद्युत संयोजन वर्ष 2018 में लिया गया था, जिसका की उनके द्वारा घरेलू उपयोग किया जा रहा है, परन्तु एकाएक 12/2023 में रू0 11058/–का विद्युत बिल उन्हें प्राप्त हुआ है, जो कि उनकी वास्तविक खपत से बहुत अधिक है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 1528 दिनांकित 11/03/2024 के द्वारा निम्नवत् अवगत कराया गया है कि:–

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

1. परिवादी को प्रेषित विद्युत बिल अंकित मीटर रीडिंग एवं एम0आर0आई0 रिपोर्ट में पाई गई मीटर रीडिंग के विवरण से स्पष्ट है कि मीटर में पाई गई रीडिंग के अनुसार ही उपभोक्ता के बिल बनाये गये है। बिलों में मीटर रीडिंग का कोई अनियमितता नहीं है।
2. सहायक अभियन्ता–मीटर, नगरीय विद्युत परीक्षण खण्ड, देहरादून द्वारा उपभोक्ता के संयोजन पर दि0 04.03.2024 को चैक मीटर फाईनल किया गया, जिसमें दोनों मापकों में कोई भी अन्तर नहीं आने के कारण उपभोक्ता के परिसर में लगा मीटर सं0 75163511 का तेज चलना नहीं पाया गया।
3. उपभोक्ता के मीटर द्वारा विभिन्न तिथियों में रिकार्ड किये गये Neutral Disturbance or Earht Load से सम्बन्धित टैम्पर रिकोर्ड से स्पष्ट है कि उपभोक्ता के घर की आन्तरिक वायरिंग में खराबी है जिसके कारण लिकेज हो रही है।
4. उपभोक्ता के विद्युत संयोजन की बिलिंग में किसी प्रकार की कोई गड़बडी नहीं पाई गई है। उपभोक्ता के घर के आन्तरिक वायरिंग में खराबी है जिसके सम्बन्ध में उपभोक्ता द्वारा कार्यवाही की जानी है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध एम0आर0आई0 रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी को विवादित बिल चक्र में वास्तविक खपत के ही आधार पर ही विद्युत बिल जारी किये गये हैं, जो नियामानुसार सहीं है, तथा इमनें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। अतः इस परिस्थिति में परिवादी को कोई अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर विद्युत औम्बड़समैन, 80, बसंन्त विहार, देहरादून में अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो

14/05/2024 — (दीपक फरस्वाण) उपभोक्ता सदस्य

14/05/24 — (सईद अहमद) तकनीकि सदस्य

14/05/2024 — (त्रिभुवन सिंह) न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 166/2023

श्रीमती सुशीला बिष्ट पत्नी डी.एस. बिष्ट — परिवादी
निवासी– धर्मपुर डाण्डा बद्रीश कालोनी,
लेन नं0–1, पो0ओ0 नेहरू ग्राम, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (रायपुर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम — दिनांक 14-05-2024
श्री त्रिभुवन सिंह — **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद — **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण — **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि विद्युत संयोजन संख्या 9721229039168 तथा खाता सं0 40102920629 के अन्तर्गत विग़त कई माह से विद्युत बिल अतिथि तक प्राप्त न होने के कारण विद्युत बिल भुगतान करने में कठिनाई हो रही है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

1. पिछला बिल स्वंय के द्वारा पिछले बिल के आधार पर जमा किया गया है।
2. संबधित मीटर रीडर से सम्पर्क करने पर पर अवगत करवाया गया कि विद्युत मीटर विगत 04–05 माह से खराब चल रहा है, जिससे विद्युत बिल उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत् निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

3. उक्त के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आराधर से संपर्क करने हेतु उक्त अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध न होने पर कार्यालय से सम्पर्क करने पर संबंधित प्रार्थना पत्र को लेखासहायक/प्रेषण लिपिक द्वारा रिसीव नहीं किया गया और उक्त पत्र बिना रिसीव ही रख लिया।

अतः खराब मीटर को बदलते हुए जमा धनराशि को अगले बिल में समायोजित करते हुए विद्युत बिल को अविलम्ब उपलब्ध करवाते हुए बिल की अवशेष धनराशि जमा की जा सकें।

उपरोक्त के संदर्भ में अधिशासी अभियन्ता ने अपनी आख्या पत्रांक सं0 581 दिनांकित 03.02.2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्रीमती सुशीला बिष्ट, पत्नी श्री डी0एस0 बिष्ट, धर्मपुर डाण्डा, बद्रीश कालोनी, लेन नं0–1 पो0ओ0 नेहरूग्राम, देहरादून वाद के सम्बन्ध में बिन्दुवार निम्नानुसार हैः–

1. उपभोक्ता विद्युत बीजक का भुगतान पिछले विद्युत बीजक के आधार पर नही अपितु कार्यालय द्वारा निर्गत विद्युत बीजक के आधार पर किया गया (कन्ज्यूमर डिटेल संलग्न)
2. उपभोक्ता को नियमानुसार नियत अन्तराल के अनुसार विद्युत बीजक उपलब्ध कराये गये(कन्ज्यूमर लेजर डिटेल संलग्न)।
3. सम्बन्धित उपखण्ड कार्यालय के कार्मिक द्वारा प्रार्थना पत्र रिसीव न करने के प्रकरण की जॉच हेतु सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को पत्र (प्रतिलिपि संलग्न) निर्गत कर दिया एवं दिनांक 20.01.2024 को उपभोक्ता के पुराने खराब मीटर संख्या 32183567 मेक एल0एण्डटी0 को बदलकर नया मीटर संख्या 781479 मेक जीनस स्थापित कर दिया गया (उपभोक्ता की कन्ज्यूमर हिस्ट्री की प्रतिलिपि संलग्न)।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

उपभोक्ता को नियमानुसार सिस्टम जनरेटेड विद्युत बीजक उचित आधार पर नियमित अन्तराल के अनुसार निर्गत किये जा रहे है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गय पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है, कि परिवादी की मूल शिकायत है कि विद्युत मीटर खराबी के कारण विगत 04 माह से अर्थात् 02 बिल चक्रों में परिवादी को विद्युत बिल प्रेषित नही हो पा रहे थे, तत्पश्चात् परिवादी द्वारा पूर्व में प्रेषित विद्युत बीजक के आधार पर भुगतान कर रहा था। परिवादी के शिकायती के क्रम मे विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता को नियमानुसार नियत अंतराल के अर्न्तगत विद्युत बीजक उपलब्ध कराये गये। उपभोक्ता द्वारा विद्युत बीजक का भुगतान पिछले विद्युत बीजक के आधार पर नही अपितु कार्यालय द्वारा निर्गत विद्युत बीजक के आधार पर किया गया उक्त के क्रम मे विपक्षी द्वारा दिनांक 20.01.2024 को उपभोक्ता के पुराने खराब मीटर संख्या 32183567 मेक एल0एण्डटी0 को बदलकर नया मापक मीटर संख्या 781479 मेक जीनस स्थापित कर दिया गया है, तथा नियमानुसार सिस्टम जनरेटेड विद्युत बीजक उचित आधार पर नियमित अंतराल के अनुसार निर्गत किये जा रहे है।

उपरोक्त चर्चा के उपरांत मंच का मत है कि विपक्षी द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध विपक्षी के साथ संलग्न कंज्यूमर हिस्ट्री के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत खराब विद्युत मीटर बदले जाने के संबंध में थी, जिसका की विपक्षी द्वारा खराब विद्युत मापक बदलकर समाधान कर दिया गया है। विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्र0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड,
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। मंच द्वारा विपक्षी को यह भी आदेशित किया जाता है, कि परिवादी को प्रत्येक बिल चक्र में विद्युत बिल ससमय पर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

14/05/2024 | 14/05/24 | 14/05/202

(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

(सईद अहमद)
तकनीकी सदस्य

(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण म
(गढ़वाल क्षे
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली
देहरादून – 248(
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 27619
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767
ई–मेल cgrfgz@gmail.co

परिवाद सं0 173/2023

श्री इरशाद अहमद पूत्र मौ0 हासिम परिवादी
निवासी– चोरखाला, नई बस्ती,
मंदिर वाली गली, सहसपुर,
तहसील–विकासनगर, देहरादून।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड (विकासनगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

कोरम दिनांक: 30.05.2024
श्री त्रिभुवन सिंह **न्यायिक सदस्य**
श्री सईद अहमद **तकनीकी सदस्य**
श्री दीपक फरस्वाण **उपभोक्ता सदस्य**

निर्णय

प्रस्तुत परिवादी द्वारा उनके विद्युत बिलों को संशोधित किये जाने के सम्बन्ध में योजित किया गया है।

परिवादी का कथन है कि प्रार्थी एक निर्धन अल्पसंख्यक राष्ट्रीय मुस्लिम मंच व आर0एस0एस0 के पुराने कार्यकर्ता है। प्रार्थी ने दिनांक 28.11.2023 में एक प्रार्थाना पत्र इस साक्ष्य का प्रस्तुत किया था कि बिजली का मीटर जमपिंग के कारण ज्यादा रीडिंग दे रहा है, उसको बदलने व ज्यादा बिल को कम करने हेतु प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत किया था, जिस पर आपने एम0डी0 यू0पी0सी0एल0 को आदेशित किया था तथा साथ ही एस0डी0ओ0 को उक्त प्रकरण पर कार्यवाही

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मं
(गढ़वाल क्षेत्र
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली र
देहरादून – 24800
दूरभाष: 0135–2769745, 2769755, 276195
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–27673
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

हेतु लिखा था। महोदय अभी तक न मीटर बदला गया हे और न ही विद्युत बिल कम किया गया है। प्रार्थी ने माह नवम्बर 2023 में मु0 4,000/– रू0 जमा किये थे और मु0 2,000/– रू0 शेष बचे थे, परन्तु अब यह कहकर मेरा विद्युत संयोजन विच्छेदित कर दिया गया कि शेष धनराशि 20,000/– का बिल शेष है। अतः मेरा विद्युत बिल संशोधित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संन्दर्भ में विपक्षी अधिशासी अभियन्ता ने आख्या पत्रांक 513 दिनांकित 16/02/2024 से मंच को अवगत कराया है कि श्री इरशाद अहमद, पुत्र श्री मौ0 हासिम, निवासी– चोरखाला, नई बस्ती, मंदिर वाली गली, सहसपुर तहसील विकासनग, देहरादून के संबंध में मंच को निम्नानुसार अवगत कराया गया है–

1. परिवादी की संयोजन सं0 VN11611043483, 01 कि0वा0 श्रेणी में दिनांक 31.07.1998 को निर्गत किया गया था।
2. परिवादी की शिकायत के आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा जांच की गई जिसमें मीटर की रीडिंग सही पायी गयी।
3. परिवादी को प्रेषित विद्युत बीजक एम0यू0 के आधार पर निर्गत किये गये है।
4. परिवादी के विद्युत बीजक में किसी भी प्रकार की अनियमितता प्रतीत नहीं होती है।

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum
(Garhwal Zone)
V.C.VGabar Singh Urja Bhawan, Kanwali Road
Dehradun -248001
Phone 0135- 2769745, 2769755, 2761956
Office : 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax: 2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
वि0क्रॉ0वि0 गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाषः 0135–2769745, 2769755, 2761956
कार्यालयः 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। मंच द्वारा परिवादी को न्यायहित में अवसर प्रदान करते हुए भिन्न–भिन्न तिथियां 19/02/2024, 29/02/2024, 18/03/2024, एवं 01/04/2024 नियत की गयी थी, उपरोक्त सभी सुनवाई तिथियों में परिवादी को मंच द्वारा दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया गया था, बावजूद इसके न तो परिवादी उपरोक्त किसी तिथि मे मंच के सम्मुख उपस्थित हुए न ही उनके द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये गये जिसे मंच द्वारा गंभिरता से लिया गया। उपरोक्त परिस्थितियों में मंच इस मत का है कि परिवादी उक्त वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है। इस परिस्थिति में वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नही रह जाता है। अतः वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज होने के योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत वाद वादी की अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का वाद व्यय/प्रतिकर प्राप्त नही करेंगे। **इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून में अपील कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।**

30/05/2024	30/5/24	30/05
(दीपक फरस्वाण)	(सईद अहमद)	(त्रिभुवन सिंह)
उपभोक्ता सदस्य	तकनीकी सदस्य	न्यायिक सदस्य

Electricity Consumer Grievance Redressal Forum.
(Garhwal Zone)
Gabar Singh UrjaBhawan, Kanwali Road,
Dehradun –248001
Phone 0135-2769745,2769755,2761956
Office: 0135-2763672-75 Ext. 257 Fax:2767395
E-Mail – cgrfgz@gmail.com

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
(गढ़वाल क्षेत्र)
गबर सिंह ऊर्जा भवन, कॉवली रोड
देहरादून – 248001
दूरभाष: 0135.2769745, 9755,2761956
कार्यालय: 0135–2763672–75 फैक्स–0135–2767395
ई–मेल cgrfgz@gmail.com

परिवाद सं0 184/2023

श्री दर्शन सिंह,
निवासी– 16/11, गोविंद गढ,
जिला–देहरादून। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड, (केन्द्रीय)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून। विपक्षी

कोरम दिनांक : 14.05.2024
श्री त्रिभुवन सिंह न्यायिक सदस्य
श्री सईद अहमद तकनीकी सदस्य
श्री दीपक फरस्वाण उपभोक्ता सदस्य

निर्णय

प्रस्तुत परिवाद परिवादी द्वारा विद्युत संयोजन संख्या CD22205236187 के विद्युत बिलों को संशोधित कराये जाने के संबंध में योजित किया गया है।

परिवादी द्वारा अपनी शिकायत पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनका विद्युत बिल रू0 50,894.37 का आया है। अतः मंच से निवेदन है कि उक्त विद्युत बिल को संशोधित कराये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

उपरोक्त के संबंध में विपक्षी उपखण्ड अधिकारी के अपनी आख्या पत्रांक संख्या 116 दिनांकित 14/03/2024 के द्वारा अवगत कराया गया है कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या CD22205236187 का बिल बकाया होने के कारण स्थाई रूप से विच्छेदित कर दिया गया था। दिनांक 07.03.2024 को PD OM सं0

2403131008631391070182310081 खण्ड कार्यालय से निर्गत कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा रू0 49835.00 देय है।

उपरोक्त आख्या का अवलोकन करने के उपरान्त मंच द्वारा विपक्षी को सुनवाई तिथि दिनांक 14.03.2024 को उपरोक्त PD OM सं0 240313100863139107018231008I को संशोधित करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके क्रम में विपक्षी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 04.04.2024 को अनुपालन आख्या पत्रांक संख्या 152 दिनांकित 04.04.2024 प्रस्तुत की गई जिसके माध्यम से अवगत कराया गया कि उपभोक्ता का विद्युत संयोजन संख्या CD22205236187 का विद्युत बिल संशाधित कर दिया गया है। संशोधन उपरान्त उपभोक्ता द्वारा देय धनराशि रू0 29750.00 है।

मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का समाधान कर दिया गया है, जिसपर परिवादी द्वारा सुनवाई तिथि दिनांक 04.04.2024 को अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त की जा चुकी है। इस परिस्थिति में उक्त वाद आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने एवं परिवादी द्वारा भी विपक्षी द्वारा की गई कार्यवाही पर अपनी लिखित संतुष्टि व्यक्त किये जाने के फलस्वरूप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष एक दूसरे से किसी प्रकार का प्रतिकर/वाद–व्यय प्राप्त नहीं करेंगे। ***इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिनों भीतर विद्युत औम्बड्समैन 80, बसंन्त विहार, देहरादून मे अपील कर सकते हैं।*** पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

14/05/2024
(दीपक फरस्वाण)
उपभोक्ता सदस्य

14/05/24
(सईद अहमद)
तकनीकि सदस्य

14/05/2024
(त्रिभुवन सिंह)
न्यायिक सदस्य